राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
86/2024	06.12.2024	07.10.2025

बउनवान

1. विद्या देवी पत्नी धनश्याम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थिया

बनाम

1. काडूराम पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. चिरंजी पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थिया – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. नया 302 पुराना 123 के खसरा सं. 2687 रकबा 0.33 हैक्टे., 2688 रकबा 0.55 हैक्टे., 2689 रकबा 0.90 हैक्टे., 2690 रकबा 0.01 हैक्टे., 2691 रकबा 0.69 हैक्टे., कुल किता 05, कुल रकबा 2.48 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, भू.अ.नि. बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है जिसकी वादिया तन्हा खातेदारी काबिज काश्तकार है। विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी दीगर शख्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार लेना–देना नहीं है। प्रार्थिया विवादित आराजीयात पर काबिज होकर बिना किसी विघ्न व विरोध के उपयोग–उपभोग कर लाभान्वित होती चली आ रही है। विवादित आराजीयात का बतौर मालिक उपयोग–उपभोग करने एंव लाभान्वित होने का विधिक अधिकार प्रार्थिया को प्राप्त है। अप्रार्थीगण अथवा किसी दीगर सख्श को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा करे किन्तु अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 का विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होने के बावजूद अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 जबरन विवादित आराजीयात पर अवैध रूप से निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व विवादित आराजीयात में मौके की भूमि पर जबरन अवैध रूप से निर्माण करने व विवादित आराजीयात से प्रार्थिया को जबरन धनबल व बाहुबल से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। यदि अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थिया को

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

गैर जरूरी किस्म के मुकदमात प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 के विरूद्ध प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिससे प्रार्थिया का समय एवं श्रम जाया होकर आर्थिक क्षति होगी। दिनांक 01.08.2024 को प्रार्थिया की कब्जे काश्त खातेदारी व उपयोग–उपभोग की विवादित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 जबरन बल प्रयोग कर मौके पर पत्थर, बजरी आदि निर्माण सामग्री डालने व मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 से कहा कि यह भूमि मेरे तन्हा कब्जे काश्त व खातेदारी की है, इस पर आपको निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व उनके मददगारान नाराज हो गये और प्रार्थिया के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रार्थिया गरीब व कृषि पेशा महिला है जो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 का धनबल व बाहुबल में मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, राजनैतिक प्रभाव व धनबल व बाहुबल वाले व्यक्ति है जो सांठ–गांठ कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम निर्माण करके रहेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो तुमसे जो हो सकता है कर लो। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 अपने नाजायज मकसदों से बाज नही आ रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसदो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो पायेगी। ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होने से वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबले अप्रार्थीगण, प्रार्थिया के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे विवादित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 स्वंय जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से प्रार्थिया को विवादित आराजीयात में प्राप्त विधिक अधिकारो के उपयोग–उपभोग में बाधा व मजाहमत पैदा करने से एवं प्रार्थिया के विधिक अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित रहे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बाद पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थिया दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थिया के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थिया के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 302 के खसरा सं. 2687, 2688, 2689, 2690, 2691 कुल किता 05, कुल रकबा 2.48 हैक्टे. के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थिया के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खाम या पुख्ता निर्माण, रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे। प्रार्थिया को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)